

placating
on 30/5/2017

For upto
NFR/12
GDE

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय / MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड / RAILWAY BOARD)

No: 2008/RS(G)/777/1

New Delhi, dated 29.5.2017

The General Manager, All Indian Railways, PUs, NFR(C), CORE
The DG/RDSO/Lucknow & NAIR/Vadodara
CAOs, DMW/Patiala, WPO/Patna, COFMOW/N. Delhi, RWP/Bela

Sub: Migration to GST regime - Special Tender Conditions

The GST Roll out is expected with effect from 01.07.2017. Therefore, all the procuring entities are advised to include the following Special Tender Conditions in their Bid Document :

"For the tenders due to open before roll out of GST- All the bidders/tenderers while quoting the rates should clearly indicate the rate of applicable duties and taxes included in the prices quoted by them. Any variation in tax structure/rate due to introduction of GST, shall be dealt with under Statutory Variation Clause.

For the tenders opening after roll out of GST- All the bidders / tenders should ensure that they are GST compliant and their quoted tax structure /rates are as per GST Law. "

This issues with the concurrence of Finance Dte of Railway Board

Santosh Mittal
(Santosh Mittal)

Dy. Director Railway Stores (G),
Railway Board

No: 2008/RS(G)/777/1

New Delhi, dated 29.5.2017

1. FA&CAOs, All Indian Railways & Production Units, NFR(C), CORE, WPO, COFMOW
2. The ADAI(Railways), New Delhi
3. The Director of Audit, All Indian Railways

Arundhan

for Financial Commissioner / Railways

No: 2008/RS(G)/777/1

New Delhi, dated 29.5.2017

1. COSS, PCEs, CMEs, CEEs, CSTE, All Indian Railways & PUs, COFMOW/NDLS., CORE/ALD, WPO/Patna

2. The Directors—
- Indian Railway Institute of Sig. Engg. & Telecom, Secunderabad
 - Indian Railway Institute of Mech. & Elec. Engg., Jamalpur
 - Indian Railway Institute of Elect. Engg., Nasik
 - Sr. Prof. (Material Management), NAIR, Vadodara
 - Indian Railway Institute of Civil Engg., Pune
 - Indian Railway Institute of Traffic Management, Lucknow
- Director, Iron & Steel, 3, Koila Ghat Street, Kolkata
 - Executive Director (Stores), RDSO, Lucknow, MD | CRIS, MAD
 - Chief Commissioner, Railway Safety, Lucknow
 - Zonal Railway Training Institute, Sukadia Circle, Udaipur

Santosh Mittal
(Santosh Mittal)
Dy. Dir. Rly. Stores(G)-I
Railway Board

No: 2008/RS(G)/777/1

New Delhi, dated 21.5.2017

Copy to :

- The Genl. Secy., AIRF, Room No. 248, & NFIR Room No. 256-C, Rail Bhavan
- The Secy. Genl., IRPOF, Room No. 268, FROA, Room No. 256-D & AIRPFA, Room No. 256-D Rail Bhavan

Santosh Mittal
(Santosh Mittal)
Dy. Dir. Rly. Stores(G)-I
Railway Board

Copy to: Sr. PPSs / PPS / PS to:

- MR, MoS(S), MoS(G)
- CRB, FC, ME, MTR, MRS, MS, MT, SECY., DG(RS), DG(S&T), DG(Personnel), DG(RHS), DG(RPF)
- All AMs, Advisors & Executive Directors of Railway Board

भारत सरकार

रेल मंत्रालय

रेलवे बोर्ड

सं. 2008/आरएस(जी)/777/1

नई दिल्ली, दिनांक 29.05.2017

महाप्रबंधक, सभी भारतीय रेलें, उत्पादन इकाइयां, पूर्वोत्तर सीमा रेलवे(निर्माण), कोर
महानिदेशक/अ.अ. एवं मा.सं./लखनऊ एवं भारतीय रेल राष्ट्रीय अकादमी/वडोदरा
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, डीजल इंजन आधुनिकीकरण कारखाना/पटियाला, डब्ल्यूपीओ/पटना, कॉफमो/नई
दिल्ली, आरडब्ल्यूपी/बेला.

विषय: जीएसटी पद्धति को लागू करना - विशिष्ट निविदा शर्तें

01.07.2017 से जीएसटी लागू होने की प्रत्याशा है। अतः, खरीद करने वाली सभी संस्थाओं को सुझाव दिया जाता है कि वे अपने बोली दस्तावेजों में निम्नलिखित विशिष्ट निविदा शर्तें शामिल करें:

"जीएसटी लागू होने से पहले खुलने के लिए बकाया निविदाओं के लिए - सभी बोलीदाताओं/निविदाओं को दर प्रस्तुत करते समय उनके द्वारा उद्धृत मूल्यों में शामिल किए गए लागू शुल्कों और करों की दर को स्पष्ट रूप से दर्शाना चाहिए। जीएसटी आरंभ होने के कारण कर संरचना/दर में किसी भी अंतर का निपटना सांविधिक अंतर खण्ड के अंतर्गत किया जाएगा।

जीएसटी लागू होने के बाद खुलने वाली निविदाओं के लिए - सभी बोलीदाताओं/निविदाकारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी जीएसटी में रुचि है और उनकी उद्धृत दर संरचना/दर जीएसटी कानून के अनुरूप है।"

इसे रेलवे बोर्ड के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जाता है।

संतोष मित्रल
(संतोष मित्रल)

उप निदेशक रेल भंडार(सा.)।,
रेलवे बोर्ड

सं. 2008/आरएस(जी)/777/1

नई दिल्ली, दिनांक 29.05.2017

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी, सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां, पूर्वोत्तर सीमा रेलवे(निर्माण), कोर, डब्ल्यूपीओ, कॉफमो
2. एडीएआई (रेलें), नई दिल्ली
3. निदेशक, लेखा परीक्षा, सभी भारतीय रेलें

कृते वित्त आयुक्त/रेलें

तिलिपि प्रेषितः

1. सीओएस, पीसीई, सीएमई, सीईई, सीएसटीई, सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां, कॉफमो/नई दिल्ली, कोर/इलाहाबाद, डब्ल्यूपीओ/पटना
2. निदेशक-
 - क. भारतीय रेल सिग्नल इंजीनियरी एवं दूरसंचार संस्थान, सिंकदराबाद
 - ख. भारतीय रेल यांत्रिक एवं बिजली इंजीनियरी संस्थान, जमालपुर
 - ग. भारतीय रेल बिजली इंजीनियरी संस्थान, नासिक
 - घ. वरिष्ठ प्रो. (सामग्री प्रबंधन), नेशनल अकादमी ऑफ इण्डियन रेलवे, वडोदरा
 - ड. भारतीय रेल सिविल इंजीनियरी संस्थान, पुणे
 - च. भारतीय रेल यातायात प्रबंधन संस्थान, लखनऊ
4. निदेशक, लोह एवं इस्पात, 3, कोयला घाट स्ट्रीट, कोलकाता
5. कार्यपालक निदेशक (भंडार), अ.अ.मा.सं., लखनऊ, प्रबंध निदेशक/क्रिस
6. मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त, लखनऊ
7. क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान, सुकाडिया सर्कल, उदयपुर

सन्तोष मिश्रा
(संतोष मिश्रा)

उप निदेशक रेल भंडार (सा.)।
रेलवे बोर्ड

प्रतिलिपि प्रेषितः

1. जनरल सेक्रेटरी, एआईआरफ, कमरा नं. 248 और एनएफआईआर, कमरा नं. 256-सी, रेल भवन
2. सेक्रेटरी जनरल, इरपोफ, कमरा नं. 268, फ़ोआ, कमरा नं. 256-डी, एआईआरपीएफए, कमरा नं. 256 डी, रेल भवन।

सन्तोष मिश्रा
(संतोष मिश्रा)

उप निदेशक रेल भंडार (सा.)।
रेलवे बोर्ड